न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 42/2015

दायर दिनांक :- 21.08.2007

निर्णय दिनांक :- 22.03.2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. शंकरलाल पिता भीमराज बापना निवासी- भूपालसागर तह०- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

वादपत्र अंतर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थिति:- श्री बालेन्द्र कोठारी वकील वादी
श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

* निर्णय *

वकील वादी की ओर से एक वाद पत्र अंतर्गत धारा- 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-

(1) यह है कि मौजा बूल तहसील भूपालसागर में साबिक पैमाईश की आ० नं० 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260 व 261 कुल किता 8 कुल रकबा 14-05 बीघा थी जो रेवेन्यु रेकर्ड में कन्हैयालाल, छगनलाल महाजन 1/2, देवीलाल पिता भीमराज महाजन 1/2 के नाम दर्ज थी और उक्त गलत अंकन की [illegible] हेतु [illegible] न्यायालय मे दावा इन्द्राज दुरुस्ती बाबत पूर्व [illegible] न० 123/74 रे० वाद पर दायर होकर दिनांक [illegible] से [illegible] किया गया और वादी शंकरलाल पिता भीमराज के खाते में आ० न० [illegible]/2 रकबा [illegible]-15 बीघा, 260/2 रकबा 01-15 बीघा, 258/2 रकबा 01-07 बीघा, 261/2 (राज.83) रकबा 09-00 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 05-17 बीघा तथा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़

—— लगातार ——

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तथा कन्हैयालाल पिता हजारीमल महाजन नि॰ भूपालसागर के नाम किता 7 रकबा 08-08 बीघा भूमि दर्ज की गयी। निर्णय अनुसार नामान्तकरण खोला गया है जो सही है। उस वक्त भू-प्रबन्ध का कार्य होने के कारण नामान्तरकरण अमल दरामद नही हुआ है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दावा में बताया कि डिक्री की पालना में पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 325 नहीं खोला गया और ना ही निर्णय दिनॉक 30.06.1989 को हुआ। वादी ने सहखातेदारान का ऐतराज होना नहीं बताया है जबकि वाद में वादी द्वारा सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पूर्व में पारित निर्णय की पालना में नामान्तरकरण कब जारी किया गया? गत के मुकाबले नवीन रिकॉर्ड में अमल दरामद क्यों नही हुआ? नवीन आ॰न॰ क्या बने? दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। गत के मुकाबले नवीन में अमल किये जाने हेतु गत नम्बरों का मिलान कर नवीन नम्बर क्या बने है यह भार वादी पर सिद्ध करने का है। वादपत्र में सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। इस पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयी -

तनकी सं॰1 :- आया इस न्यायालय से पूर्व में प्रकरण संख्या 123/74 वाद पर दिनॉक 19.6.86 को डिक्री जारी हुई एवं आया इस डिक्री की इजराय जारी होकर ना॰सं॰ 325 दिनॉक 30.6.89 स्वीकृत हुआ?

—जिम्मेवादी

तनकी सं॰2 :- आया नामा॰सं॰ 325 व डिक्री अब भी प्रभाव में है?

—जिम्मेवादी

तनकी सं॰3 :- आया डिक्री पर वर्णित भूमि आ॰न॰ 261/2, 260/2 व 258/2, 257/2 कुल रकबा 05-17 बीघा से हाल आ॰न॰ 333 से 343 व 343 से 350 रकबा 3.09 हैक्ट॰ बने है एवं वादी भूमियां [illegible] का अधिकारी है?

—जिम्मे वादी

तनकी सं॰4 :- आया [illegible] खातेदार [illegible] पक्षकार है?

—जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं॰5 :- दादरसी?

— लगातार —

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी की ओर से सबूत दस्तावेज शामिल प्रार्थना-पत्र संख्या 51/05 (मूल वाद सं. 123/74) की निर्णय प्रतिलिपि दिनांक 19.6.06, नामान्तरकरण संख्या- 325 की प्रतिलिपि, जमाबंदी संवत 2029-2032, जमाबंदी संवत 2059-2062 व मिलान तेरफत नकल आदि प्रस्तुत किये। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ।

शहादत वादी में गवाह वादी शंकरलाल के बयान शपथ-पत्र पर पेश किये और कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से शहादत वादी बंद की गयी। प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गयी तथा साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह पेश नहीं करने से शहादत प्रतिवादी बंद की गयी। प्रतिवादी ने प्रा०पत्र 01 R10 सीपीसी का पेश किया जिसका जवाब वादी (अप्रार्थी) द्वारा पेश किया गया। वादी वकील ने दिनांक 10.9.13 को प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को नोट पेश किया। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और बताया कि दिनांक 19.6.06 को पारित डिक्री की पालना में इजराय में पालना कर इंतकाल न० 325 दिनांक 30.6.09 को खोला गया मगर उक्त इंतकाल अपूर्ण व सही नहीं खोला गया। सेटलमेन्ट कार्य शुरु हो जाने से इसका अमल दरामद जमाबंदी में नहीं हुआ व इन्द्राज यथावत पुनः रख दिया गया। अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे व प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वाद वर्णित मु०न० 123/74 में जो दिनांक 19.6.06 को पारित डिक्री की पालना में इंतकाल खोला जाकर राजस्व रेकर्ड में उस डिक्री के अनुसार आराजियात का अंकन किया जावे। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि जवाब दावा को ही बहस मानी जावे और वादपत्र में सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अतः तनकीहवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है-

तनकी सं.1 :- इस [illegible] जाने का भार वादी पर होकर वादी [illegible]। वादीगण की ओर से सबूत दस्तावेज में एसडीओ कोर्ट [illegible]सन का फैसला मु०न० 123/74 की नकल, इन्तकाल न० 325 की नकल, खाता सं. 142 की संवत 2029-2032 की नकल तथा मिलान तेरफत की नकल आदि प्रस्तुत किये गये।

लगातार

उपखण्ड अधिकारी (seal)

[signature] 23/3/21
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं हुए। शहादत वादीगण में गवाह शंकरलाल के शपथ-पत्र पेश किये गये। प्रस्तुत हाल खाते की जमाबंदी संवत 2059-2062 के मुताबिक हाल आ०न० 333 ता 343 व 345 ता 347, आ०न० 348 ता 350 कुल रकबा 3.0900 हैक्ट० भूमि श्री कन्हैयालाल पिता हजारीलाल छगनलाल पिता उदयलाल 1/2 देवीलाल पिता भीमराज 1/2 महाजन सा० भूपालसागर खातेदार के नाम दर्ज अंकित है। मौजा बूल की साबिक आ०न० 253 ता 258 व 260, 261 कुल किता 8 कुल रकबा 14-05 बीघा कन्हैयालाल छगनलाल 1/2 देवीलाल पिता भीमराज 1/2 नाम जमाबंदी संवत 2029-2032 मे अंकित है उक्त आराजियात का एसडीओ कोर्ट कपासन के मु०न० 57/85 निर्णय दिनांक 19.06.86 के अनुसार ना०सं० 325 से श्री शंकरलाल पिता भीमराज के नाम कुल किता 4 कुल रकबा 05-17 बीघा तथा कन्हैयालाल पिता हजारीमल महाजन के नाम कुल किता 7 कुल रकबा 08-08 बीघा भूमि दर्ज की गयी। निर्णय के अनुसार नामान्तरकरण खोला गया। नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबंदी मे नहीं हुआ, उस वक्त भू-प्रबंध होने के कारण अमल दरामद जमाबंदी मे नहीं हुआ। वादी द्वारा यह किसी तरह से सिद्ध नहीं कराया है कि साबिक आ०न० के हाल (नवीन) आ०न० क्या बने है। वादी यह भी किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया है कि राजस्व रेकर्ड की पालना (डिक्री की पालना) प्रतिवादी द्वारा पूर्व में नहीं की गयी तथा किस कारण से इजराय की पालना में वादी द्वारा साबिक आराजियात का राजस्व रेकर्ड मे अंकन नहीं हुआ है। अत: वादी इस तनकी को आंशिक रूप से ही साबित करा पाये है। अत: यह तनकी वादी के पक्ष मे आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

तनकी सं०-2 :- यह तनकी वादी के हिस्से मे होकर वादी को साबित करायी जानी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह सिद्ध होता है कि एसडीओ कोर्ट कपासन के राजस्व वाद संख्या-57/85 (मूल वाद संख्या- [illegible]) की डिक्री दिनांक 19.6.86 को जारी हुई। डिक्री की इजराय की पालना [illegible] नामान्तरकरण संख्या-325 स्वीकृत हुआ था। उस वक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबंदी मे नहीं हुआ। जब वादी [illegible] स्वीकार कर रहा है कि डिक्री पूर्व मे जारी हो चुकी है तथा ना०सं० 325 स्वीकृत हो चुका है तो अब ना०सं० 325 व डिक्री की प्रभावकारिता का तो प्रश्न ही नहीं रहा। अत: यह तनकी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

[signature]
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या-3:- यह तनकी वादी के हिस्से मे होकर वादी को साबित करायी जानी है। वादी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजीय साक्ष्य नही पेश किया गया है कि साबिक ख०न० 261/2, 260/2, 258/2, 253/2 कुल रकबा 05-17 बीघा के नवीन (हाल) ख०न० क्या बने है। अत: यह तनकी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या-4:- यह तनकी प्रतिवादी के हिस्से मे होकर प्रतिवादी को साबित करायी जानी है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व वादी द्वारा पेश वादपत्र से यह सिद्ध होता है कि वादी द्वारा सहखातेदारो को वाद मे पक्षकार नही बनाया है। अत: यह तनकी वादी के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या-5:- चूंकि वादी तनकी संख्या-1 पूर्ण रूप से तथा तनकी संख्या-2,3 व 4 वादी किसी भी तरह से अपने हिस्से की साबित नही करा पाया है जिससे वादी के खिलाफ निर्णित हुई है। तनकी संख्या-4 भी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित हुई है। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा-11 पूर्व न्याय (Res Judicata) मे यह स्पष्ट उल्लेखित है कि "कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमे प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद-विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद मे भी ऐसे न्यायालय मे प्रत्यक्षत: या सारत: विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमे ऐसा विवाद्यक वाद मे उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।" इस प्रकार वादी अपना वाद इन्द्राज दुरुस्ती पूर्व मे पारित डिक्री की पालना का साबित कराने मे असमर्थ रहा है। साथ ही पूर्व न्याय (Res Judicata) के आधार पर भी वादी का वाद खारिज योग्य है।

अत वादी अपना [illegible] साबित नही करा पाने से वादी का वाद खारिज किया [illegible] डिक्री जारी हो।

निर्णय [illegible] को लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र –5

डिक्री बमुकद्दमे इस्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

(पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी :– **सुखाराम पिण्डेल** (R.A.S.)

उनवान

शंकरलाल पिता भीमराज ब्राह्मण बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर जि॰- भूपालसागर

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर :– 42/2015

निर्णय दिनांक :– 22·03·2021

वादी की ओर से श्री बालेन्द्र कोठारी की व प्रतिवादी की ओर से श्री पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22·03·2021 को **सुखाराम पिण्डेल** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – वादी का वाद साबित नहीं करा पाने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22·03·2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला- चित्तौड़गढ़

22/3/21

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	3-00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड	03=00	जोड	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

22/3/21

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner